न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

भरण पोषण अपील सं0 9/2022

ममता बाई पत्नि स्व० जयकिशन जाति मीना निवासी ग्राम पोस्ट हिंगोटा तहसील मंडावर हाल पदस्थापित कनिष्ठ सहायक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर जिला भरतपुर

...अपीलांट्स

1. रामजीवन मीना पुत्र श्री गिल्लीराम मीना
2. सुन्दरी देवी पत्नि रामजीवन
3. मनीषा नाबालिग जरिए संरक्षक पिता रामजीवन
4. सविता मीना पुत्री रामजीवन
   समस्त जाति मीना निवासी हिंगोटा तहसील मंडावर जिला दौसा
5. उपखंड अधिकारी मंडावर जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश भरण पोषण अधिकरण उपखंड अधिकारी मण्डावर दिनांक 28.4.2022 उनवानी प्रकरण रामजीवन आदि बनाम ममता बाई प्रार्थना पत्र सं0 1/2021

उपस्थित : 1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने उपखंड अधिकारी मण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.4.2022 जो कि प्रकरण सं0 1/2021 उनवानी रामजीवन आदि बनाम ममता बाई से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) (ख) के अधीन पेश किया जिसको दर्ज रजिस्टर्ड किया गया व नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रार्थना पत्र विस्तृत के सहित पेश किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा कतई असत्य व बेबूनियाद तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में भी नहीं आते है क्योंकि उनकी आयु क्रमशः 51 व 54 वर्ष हैं तथा वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति ही आता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब के तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया न ही प्रकरण की परिस्थितियों पर ही विचार किया तथा बिना किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिये बगैर ही अवैधानिक तरीके से दिनांक 28.04.2022 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 को 2500–2500 रूपये निजी खर्च हेतु देने के अवैध आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की जा है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय [illegible] खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय [illegible] अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब के तथ्यों पर तथा अपीलान्ट [illegible] किया और न ही अपने निर्णय में अपीलान्ट के तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया बल्कि मनमाने [illegible] से अवैधानिक निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। रेस्पो[illegible]ट नंबर 1 व 2 न त[illegible]लान्ट के माता पिता है और ना ही वरिष्ठ नागरिक की तारीफ में आते है और न ही सिनियर सिटीजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

की श्रेणी में आते है क्योंकि दोनों की आयु 60 वर्ष से कम है। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र ही प्रारंभिक रूप से चलने योग्य नहीं था क्योंकि कानूनन 60 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की तारीफ में आता है तथा 60 साल से अधिक की उम्र का व्यक्ति भरण पोषण हेतु आवदेन कर सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर कोई विचार ही नहीं किया क्योंकि प्रथम दृष्ट्या ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था न ही पेश रफ्त था इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक व कानून विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व किसी भी पक्ष की कोई साक्ष्य ही नहीं ली जबकि किसी भी प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व साक्ष्य लेना जरूरी होता है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट की कोई साक्ष्य ही नहीं है जिससे उनके प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती हो इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। भरण पोषण का प्रार्थना पत्र केवल संतान के विरुद्ध ही पेश हो सकता है पुत्रवधु के खिलाफ कानूनन कोई भरण पोषण का प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं हो सकता है इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अपीलान्ट ने अपने जवाब के पैरा नंबर 11 में स्पष्ट रूप में से अंकित किया है कि प्रार्थीया वर्तमान में भरतपुर कारागृह पदस्थापित है तथा प्रार्थीया को केवल मात्र 13,140/—रूपये मासिक वेतन मिलता है प्रार्थीया अपने बच्चों को 5,000/—रूपये मासिक का कमरा किराये पर लेकर पालन पोषण कर रही है तथा प्रार्थीया अपने बच्चों को स्कूल में पढाई आदि व फीस आदि इसी वेतन में से देती है । इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को 13,140/—रूपये मात्र तनख्वाह मिलती है जिसमें अपना व अपने बच्चो को पालन पोषण पढाई व किराये के रूपये देकर अपना जीवन निर्वाह करती है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया अपीलान्ट के पास वेतन में से एक पैसा भी नहीं बचता है जो रेस्पोडेन्ट को दे सके। बडी मुश्किल से अपने बच्चों का व अपना पालन पोषण कर रही है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर न तो विचार किया और न ही अपने निर्णय में उक्त तर्क के संबंध में कोई उल्लेख ही किया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपने जवाब दावे के चरण संख्या 16 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थीया को कभी भी पुत्रवधु के रूप में स्वीकार नहीं किया बल्कि अपीलान्ट के पति के स्वर्गवास होने के बारहवें दिन ही अपीलान्ट को उसके छोटे छोटे बच्चों सहित मारपीट करके धक्के देकर घर से निकाल दिया तथा ऐलानिया कहा कि अपीलान्ट से हमारा कोई रिश्ता नहीं है यह हमारे पुत्र को खा गई है तथा अब हम इसको यहां पर नहीं रहने देंगे न ही इसको भूमि व अन्य चल अचल संपत्ति में कोई हक व हिस्सा देंगे। रेस्पोडेन्ट जो कि पूर्णतया स्वस्थ है तथा सालाना की करीबन पांच लाख रूपये की आय पैदा करते है लेकिन रेस्पोडेन्ट जो कि कतई निकृष्ट लोग है जिन्होंने अपीलान्ट के साथ हुई घटना दु:ख के समय में कोई साथ नहीं दिया बल्कि अपीलान्ट को धक्के देकर घर से निकाल दिया तथा अपीलान्ट के पति स्व० जयकिशन मीना के बैंक में जमा रूपयो को भी रेस्पोडेन्टस के द्वारा उसके मोबाईल से फोन पे से अपीलान्ट के पति के स्वर्गवास दिनांक 10.06.2020 को होते ही जरिए फोन पे के दिनांक 15.06.2020 को 10,000/—रूपये, दिनांक 15.06.2020 को 20,000/—रूपये [illegible] 15.06.2020 को 20,000, 15.06.2020 को 10,000/—रूपये इस प्रकार एक ही दिन [illegible] रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट को गमी में होते हुए भी 80,000/—रूपये को [illegible] /—रूपये निकाल लिये तथा अपीलान्ट के पति के स्वर्गवास के पश्चात [illegible] कारागृह अजमेर के द्वारा दी गई सहयोग राशि 2,71,000/—रूपये भी अपने पास रख लि[illegible] तथा गांवो के ऑनलाईन मिशन के द्वारा सहयोग राशि 56,400/—रूपये भी प्राप्त हुई थी उसको भी रेस्पोडेन्ट द्वारा हडप लिया गया। तथा अपीलान्ट के खाते में से रेस्पोडेन्ट ने 42,412/—रू० प्राप्त कर लिये तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

रूपये 50,000/—रूपये कोटा कारागृह से मिली सहायता राशि को भी रेस्पोडेन्ट ने हडप लिये तथा अपीलान्ट के पति स्व0 जयकिशन के द्वारा अपने परिचितो को दी गई उधारी राशि 1,28,000/—रूपये को भी रेस्पोडेन्ट ने हडप लिया तथा अपीलान्ट व उसकी संतानो को चल व अचल संपत्ति मे हिस्सा भी नहीं देने की नियत से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है इन तमाम तथ्यों पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गोर नहीं किया जबकि अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के जवाब के तथ्यों पर विचार करना चाहिए था इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट ने तथ्य छुपाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है क्योंकि उक्त अधिनियम के तहत माता पिता व वरिष्ठ नागरिक ही आवेदन कर सकते रेस्पोडेन्ट का दूसरा पुत्र विनोद कुमार मीना है जो कि 26 साल का नवयुवक है तथा वह कंपनी में काम करके हर माह 60,000/—रूपये वेतन प्राप्त करता है तथा रेस्पोडेन्ट के पास करीब 20 बीघा कृषि भूमि है जिससे करीब 5 लाख रूपये सालाना की आय होती है। अपीलान्ट न तो कृषि भूमि से कोई आय ही प्राप्त करती है बल्कि रेस्पोडेन्ट ही कृषि भूमि से लाखो रूपये प्राप्त करते है इस परिस्थिति में रेस्पोडेन्ट मालदार सक्षम व्यक्ति है जो स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है उनको भरण पोषण की कोई आवश्यकता भी नहीं है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई विचार नहीं किया। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 बोरगत का कार्य करता है व काफी लोगों को रूपये उधार दे रखे है व ब्याज आदि प्राप्त करता है इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने व प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की वास्तविक परिस्थिति के संबंध में अपने निर्णय में कोई तथ्य अंकित नहीं किया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के तथ्यों व परिस्थितियों पर तनिक मात्र भी विश्वास नहीं किया जबकि अपीलान्ट ने अपने जवाब में सारे तथ्यों का उल्लेख किया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय कतही अवैधानिक व कानून विरूद्ध होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर दिनांक 28.04.2022 निरस्त फरमाने की कृपा करे व अपीलान्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रारंभिक रूप से चलने योग्य न होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. रेस्पों0 सं0 1 से 4 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उपखंड अधिकारी मंडावर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. उक्त प्रकरण में अपीलकर्ता का मुख्य कथन है कि चूंकि रेस्पों0 की आयु 60 वर्ष से कम है अतः प्रारंभिक रूप ये यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है। [illegible] केवल संतान के विरूद्ध पेश हो सकता है पुत्रवधु के लिए नहीं एवं अपीलांट के [illegible] का वेतन बहुत कम है, जिसका अधिकांश हिस्सा उनके बच्चों के [illegible] जाता है। रेस्पों0 के अन्य पुत्र भी है जिससे भरण पोषण की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:03 IST
Reason: SelfAttested

8. जहॉं तक उम्र की बात है तो उक्त अधिनियम [illegible] वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष है। माता पिता के लिए आयु का निर्धारण नहीं किया गया है अतः 60 वर्ष से कम आयु के माता पिता भी उक्त अधिनियम के तहत मेन्टेनेन्स क्लेम करने के अधिकारी है। जहॉं तक

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रश्न यह है कि क्या पुत्रवधु पर भी यह दायित्व रहता है, तो इस संबंध में धारा 4 (1)(1) में माता पिता अपने एक या एक से अधिक बच्चें (धारा 2 (ए) में परिभाषित) जो कि अल्प व्यस्क नहीं है से मेन्टेनेन्स का दावा कर सकते है एवं धारा 4 (1)(2) के तहत अपने किसी रिलेटिव से जो कि धारा 2 जी में परिभाषित है से मेन्टेनेन्स का दावा कर सकते है। इस प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि रेस्पों0 के एक व्यस्क पुत्र भी है जिसको रेस्पों0 द्वारा छुपाया गया है। यही उज्र उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के चरण सं0 7 में ली गई थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2017(4) पृष्ठ सं0 3353 रेखा कुमारी बनाम पुष्पा देवी में यह निर्णित किया गया है कि पुत्रवधु से मेन्टेनेन्स नहीं लिया जा सकता। किन्तु यदि पुत्रवधु द्वारा पुत्र की मृत्यु उपरांत माता पिता की देखरेख नहीं की जा रही है तो ऐसे में माता पिता पुत्रवधु के विरूद्ध उपयुक्त कानूनी उपाय अमल में ला सकते है।

9. उपरोक्त विववेन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी मण्डावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.4.2022 को निरस्त किया जाकर इस आशय से रिमांड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयसर्वप्रथम इस बिन्दु पर छानबीन कर की क्या उक्त माता पिता की अन्य संतान भी है। संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 14.8.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवें। उपखंड अधिकारी मण्डावर उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर संभवतः 45 दिवस में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई जून, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:03 IST
Reason: SelfAttested